बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांकः– मु०अ०(नि० एवं गु0नि0)जाँच–21–17/2025–पार्ट–1 832 /पटना, दिनांक– 25/02/2025

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा० प्र० से०
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– सुलभ संपर्कता **योजना** शीर्ष –4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष– 103– ग्राम विकास, उपशीर्ष– 0120– अतिरिक्त सुलभ संपर्कता –सात निश्चय–2 विपत्र कोड–37–4515– 00–103–0120 **के अन्तर्गत बिहार राज्य के भोजपुर जिला में (परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 01 (एक) पथ के निर्माण पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार सुलभ संपर्कता **योजना शीर्ष**–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष– 103– ग्राम विकास, उपशीर्ष– 0120– अतिरिक्त सुलभ संपर्कता–सात निश्चय–2 विपत्र कोड–37–4515– 00–103–0120 **के अन्तर्गत बिहार राज्य के भोजपुर जिला में (परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 01 (एक) पथ के निर्माण योजना जिसकी कुल लम्बाई 18.370 कि0मी० के निर्माण की राशि ₹ 3713.427 लाख (सैंतीस करोड़ तेरह लाख ब्यालीस हजार सात सौ रुपया मात्र) है, हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

परिशिष्ट–1

क्र० सं०	प्रखंड का नाम	योजना का नाम	पथ की लम्बाई (कि0मी० में)	प्राक्कलित राशि (लाख में)	तकनीकी अनुमोदन की राशि (लाख में)
1	Koilwar	संदेश से अखगॉव होते हुए कोईलवर तक नहर से बांध पर पथ	18.370	3713.427	3713.427
		कुल योग	**18.370**	**3713.427**	**3713.427**

1. इस योजना को दो वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
3. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. इस कार्यक्रम अंतर्गत वर्णित पथ के प्रशासनिक अनुमोदनोपरान्त उक्त योजना का निर्माण मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के मार्गदर्शिका के आलोक में ई–निविदा के माध्यम से कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य सम्पन्न कराया जायेगा।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

5. प्रशासनिक अनुमोदन संबंधित स्वीकृत्यादेश में किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित होने पर इसका संशोधन विभागीय सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव द्वारा किया जा सकेगा।
6. प्रशासनिक स्वीकृति हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेश में किसी भी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित होने पर संबंधित कार्यपालक अभियंता इसकी सूचना मुख्यालय को अविलम्ब देना सुनिश्चित करेंगे।
7. सारणी में अंकित योजना का प्रशासनिक अनुमोदन का प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार मंत्री परिषद् द्वारा संचिका संख्या– मु०अ०(नि० एवं गु0नि0)जाँच–21–17/2025–पार्ट–1 में दिनांक 25.02.2025 को मद संख्या– 41 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।
8. इस योजना का व्यय सुलभ संपर्कता योजना शीर्ष–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, विपत्र कोड–37–4515– 00–103–0120 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 मे उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
9. इस योजना के निर्माण की राशि, कटिजेंसी की राशि एवं भूमि अधिग्रहण की राशि का व्यय योजना शीर्ष 4515 एवं अनुरक्षण की राशि का व्यय योजना शीर्ष 3054 से भारित होगा।
10. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल आरा योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों को विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होगें।
11. प्रस्तावित योजनान्तर्गत का बजट शीर्ष– मुख्य शीर्ष 4515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप शीर्ष–00, लघु शीर्ष– 103– ग्राम विकास, उपशीर्ष– 0120– अतिरिक्त सुलभ संपर्कता सात निश्चय–2 विषय शीर्ष– 5301– मुख्य निर्माण कार्य विपत्र कोड–37–4515–00–103–0120 में योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में विपत्र कोड–37–4515–00–103–0120 वित्तीय शीर्ष 3302 कार्यक्रम का नाम– मुआवजा से 16.50 करोड़ का आंतरिक सामंजन का प्रस्ताव समर्पित है।
12. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर उक्त योजना हेतु राशि की निकासी की जायेगी।
13. वित्त विभाग के संकल्प सं0–12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित दिशा निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए संबंधित कार्य अंचल के अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता–1 के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
15. संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेगें कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।

16. उक्त योजना की उद्घोषणा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के क्रम में दिनांक 16.02.2025 को की गयी है।
17. ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।
18. संबंधित कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
19. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
20. वर्णित योजना का क्रियान्वयन निर्धारित मापदण्डों एवं समय-समय पर विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार सम्पन्न कराया जाना कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल आरा के जिम्मेवारी होगी।
21. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
22. संबंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका 17 के आलोक में स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।
23. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यो को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा।

    योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी निरीक्षी प्राधिकारी भी उत्तरदायी माने जाएगें।
24. इन योजनाओं हेतु वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक 03.12.2024 के कंडिका 10 के आलोक में राशि की विमुक्ति उदव्यय/बजट उपबंध के पश्चात् ही की जा सकेगी।
25. वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका-11 के आलोक में स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- मु०अ०(नि०एवंगु0नि0) जाँच-21-17/2025-पार्ट-1 के पृ0- 10/टि0 पर दिनांक- 25.02.2025 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

ज्ञापांकः- मु०अ०(नि० एवं गु0नि0)जाँच-21-17/2025-पार्ट-1 832 /पटना, दिनांक- 25/02/2025

प्रतिलिपिः-महालेखाकार(लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

ज्ञापांकः– मु०अ०(नि० एवं गु0नि0)जाँच–21–17/2025–पार्ट–1 832 /पटना, दिनांक–25/02/2025

प्रतिलिपिः– संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

ज्ञापांकः– मु०अ०(नि० एवं गु0नि0)जाँच–21–17/2025–पार्ट–1 832 /पटना, दिनांक– 25/02/2025

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, ब्राडा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना प्रक्षेत्र/मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/आई०टी० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव